http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 11-2023-डीएफए-522484-38-7099-99-21-2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,

उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 11 अगस्त, 2023

विषयः- मिशन अमृत सरोवर की प्रगति के संबंध में।

महोदय,

आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर का निर्माण किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-2/2022/245/38-7-2022-46नरेगा/2019 दिनांक 27-04-2022 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-1227/38-7-2022-46नरेगा/2019 दिनांक 22-07-2022 द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में 02 अमृत सरोवर का निर्माण किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया हैं। साथ ही शासनादेश संख्या-1284/38-7-2022-46नरेगा/2019 दिनांक 05-08-2022 द्वारा अमृत सरोवरों के सौन्दर्यीकरण केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त आयोग एवं मनरेगा योजना के सामग्री मद से कन्वर्जेन्स के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

2- इसके अतिरिक्त आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्र संख्या-2234/मनरेगा-सेल/पत्रा0सं0-530/2022-23, दिनांक 20.06.2023 के माध्यम से प्रत्येक जनपद को भूलेख(upbulekh.gov.in) तथा राजस्व परिषद की वेबसाइट(bor.up.nic.in) पर प्रदर्शित तालाबों की सूची के साथ ही GIZ India द्वारा रिमोट सेंसिंग डाटा से मैप पूरे प्रदेश की जनपदवार वॉटर बाडी की सूचना KML Format में शेयर किया गया है। उक्त डाटा का प्रयोग करते हुए अमृत सरोवर चिन्हित किया जाना अपेक्षित है।

3- शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश निर्गत करने के उपरान्त भी अमृत सरोवरों को विकसित किये जाने में अपेक्षित प्रगति न होना खेदजनक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 02 अमृत सरोवर लक्ष्य के सापेक्ष बाइजैग पोर्टल(amritsarovar.gov.in) पर प्रदर्शित रिपोर्ट दिनांक 02-08-2023 के अनुसार मात्र 23443 अमृत सरोवर ही चिन्हित किये गये है, जिसके सापेक्ष 14812 अमृत सरोवर पर कार्य प्रारम्भ किया गया तथा 12597 अमृत सरोवर पर कार्य पूर्ण किये गये है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति से अत्यन्त कम है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- अत: उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है-

1. भूलेख का आंकड़ा इंगित करता है कि अमृत सरोवर बनाने लायक पर्याप्त तालाब ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध है। इसके अलावा यही आंकड़ा RSAC या Bhuwan Portal से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस आंकड़े का उपयोग करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 02 अमृत सरोवर निर्माण का कार्य करवाया जाए।
2. जिन अमृत सरोवरों को चिन्हित कर लिया गया है, उन पर कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराया जाए एवं अपूर्ण अमृत सरोवरों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।
3. अन्य विभागों यथा-नगर विकास, लघु सिंचाई, सिंचाई एवं जल संसाधन, कृषि विभाग के द्वारा एवं अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि के अन्तर्गत विकसित किये जा रहे अमृत सरोवरों को बाईजैग पोर्टल पर फीड कराते हुए अमृत सरोवर ऐप के माध्यम से प्रगति फीड किया जाए।
4. पंचायती राज विभाग द्वारा प्राविधानित ZP(जिला पंचायत) & KP(क्षेत्र पंचायत) से अमृत सरोवर बनवाया जाए।
5. बाइजैग पोर्टल पर चिन्हित सभी अमृत सरोवरो पर पंचायत लेवल ऑफिसर(पी०एल०ओ०) एवं पंचायत प्रतिनिधि(पी०पी०) नामित करते हुए अमृत सरोवर ऐप के माध्यम से फिजिकल प्रोग्रेस, बेसिक इन्फार्मेशन, यूजर ग्रुप, सरप्लस सॉइल, टेस्टीमोनियल, वॉटर कैपेसिटी इन्फार्मेशन, सक्सेस स्टोरी आदि शत-प्रतिशत फीड किया जाए।
6. निर्मित अमृत सरोवरों के निरीक्षण अलग से करवाये जाने है। इन्हें शत-प्रतिशत करवाया जाए और देखा जाए कि सभी अमृत सरोवर मानकों के अनुरूप बने हो एवं सही आंकड़ा प्रविष्टि संबंधित पोर्टल पर हो।
7. अमृत सरोवर मे जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु लोगों को इच्छानुसार जन सहयोग, निर्माण सामग्री, श्रमदान आदि हेतु प्रेरित किया जाए। सी०एस०आर० फण्ड से अमृत सरोवर निर्माण हेतु प्राइवेट

http://shasandesh.up.gov.in

संस्थाओं, एन0जी0ओ0, सामाजिक संगठनों आदि से सहयोग प्राप्त किया जाए।

5- योजनान्तर्गत सभी संबंधितों के सहयोग से प्रगति करते हुए प्रदेश अमृत सरोवरों के विकास में देश में अग्रणी राज्य बना हुआ है। अब आवश्यकता क्रियान्वयन की गति को और बढ़ाने की है, ताकि जल संरक्षण का उददेश्य पूरा हो सके ।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अमृत सरोवरों के विकास के लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या- 11-2023-डीएफए-522484-38-7099-99-21-2022-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज, कृषि, सिंचाई एवं जल संसाधन एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. निदेशक,पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
5. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
8. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,उ0प्र0।
10. गार्ड बुक।

http://shasanadesh.up.gov.in

आज्ञा से,
सुखलाल भारती
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in